

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- नर्सिंग / नर्स-1 / आर-274 / 2019 /

दिनांक:

—:आदेश:—

श्री रमेश चन्द, नर्स श्रेणी प्रथम, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अलवर जिनकी जन्म तिथि 10.08.1964 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 01.08.1990 है को स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम- 50 (1) में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 01.02.2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

वर्तमान में इनके विरुद्ध:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का दिवस अकार्य दिवस माना जावेगा।

—४—

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- नर्सिंग / नर्स-1 / आर-274 / 2019 / 49

दिनांक: 31-01-2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स वेलफेयर विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अलवर को उनके पत्र क्रमांक 7131 दिनांक 20.11.2018 के क्रम में प्रेषित है।
5. श्री रमेश चन्द, नर्स श्रेणी प्रथम को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश / निजी पत्रावली।

7. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यमन्त्री

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर